

¹[नियम 100 : कतिपय मामलों में निर्धारण]

- (1) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 13 में जारी किया जाएगा और उसका सारांश प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में इलैक्ट्रानिक रूप में अपलोड किया जाएगा।
- (2) समुचित अधिकारी कराधेय व्यक्ति को धारा 63 के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 14 में एक सूचना जारी करेगा, जिसमें वह आधार अंतर्विष्ट होंगे जिनके आधार पर सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण किए जाने का प्रस्ताव है तथा उसके सारांश की तामील इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 में भी की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को उसका प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय अनुज्ञात करने के पश्चात्, प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 15 में आदेश पारित करेगा और उसके सारांश को इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में अपलोड किया जाएगा।
- (3) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 16 में जारी किया जाएगा और उसके सारांश को इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में अपलोड किया जाएगा।
- (4) धारा 64 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण करने के लिए प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 17 में आवेदन कर सकेगा।
- (5) यथास्थिति, प्रतिसंहरण आदेश या धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन अस्वीकार करने का आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 18 में जारी किया जाएगा।

1 अधिसूचना क्रमांक 16/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.03.2019 द्वारा नियम 100 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

“नियम 100 : कतिपय मामलों में मूल्यांकन

- (1) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन किया गया मूल्यांकन का आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-13 में जारी किया जाएगा।
- (2) उचित अधिकारी धारा 63 के उपबंधों के अनुसार कराधेय व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-14 में नोटिस जारी करेगा जिसमें वे आधार अन्तर्विष्ट होंगे जो सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर मूल्यांकन में प्रस्तावित है और ऐसे व्यक्ति को अपना उत्तर देने के लिए पन्द्रह दिन का समय अनुज्ञात करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-15 में आदेश जारी करेगा।
- (3) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन संक्षिप्त मूल्यांकन का आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-16 में जारी किया जाएगा।
- (4) धारा 64 उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति प्ररूप जीएसटी एएसएमटी-17 में संक्षिप्त मूल्यांकन को वापस लेने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा।
- (5) धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन के अस्वीकार होने या यथास्थिति, वापस लेने का आदेश प्ररूप जीएसटी एएसएमटी 18 में जारी किया जाएगा।”